राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर ।

क्रमांकः निदे/मुमनिदयो/2013/

दिनांकः

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधी भण्डार, राजस्थान।

विषयः— मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एंव मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की क्रियान्विति के सम्बंध में जारी दिशा—निर्देशों की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी अधिकारी जिला औषधी भण्डार एवं नोडल अधिकारी, MNDY एवं MNJY के साथ दिनांक 11.09.2013 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिग में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांचे योजना के सम्बंध में निम्नाकिंत बिन्दु सामने आये हैः—

- कुछ जिला औषधि भण्डार प्रभारियों ने अवगत कराया कि कुछ संस्था वर्ष 2011—12, 2012—13 एवं 2013—14 के लिये वार्षिक मांग में चाही गई दवाईयां प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जबकि यह दवाईयां DDW पर उपलब्ध है, तथा चिकित्सा संस्थाओं द्वारा स्वीकार ना कर उपयोग में नहीं लेने के कारण अवधि पार होने की संभावना है।
- कुछ चिकित्सा संस्थाओं के सबरस्टोर/डीडीसी पर दवाईयां अवधिपार हो चुकी है अथवा हो रही है।
- स्थानीय स्तर पर क्रय की जाने वाली औषधियों की दर संविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अतः अनुपलब्ध दवाईयों को स्थानीय स्तर पर नियमानुसार क्रय कर रोगियों को उपलब्ध करावाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
- वर्ष 2013—14 के लिये संशोधित मांग का इन्द्राज ई—औषधि में करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

अतः निर्देशानुसार उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार/ राजस्थान सर्विस कॉरपोरेशन एवं इस निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा—निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित कर प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनुपालना रिपोर्ट से तीन दिवस में आवश्यक रूप से अवगत करावें। यहां यह भी निर्देशित किया जाता है कि दवाईयों का समुचित उपयोग रोगियों के उपचार में समय पर नहीं होने के कारण अवधि पार होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल से लाई जा सकेगी।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर ।

क्रमांकः निदे/मुमनिदयो/2013/ 460

दिनांकः 14/10/2013

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन, जयपुर।
3. निदेशक (आरसीएस/एड्स) एवं विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन—राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 से 4 की क्रियान्विति आपके अधीनस्थ जिलों में आवश्यक रूप से करवा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
5. प्रभारी सर्वर रूप को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें तथा सम्बन्धित को मेल भी करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर ।